No.		का कार्यालय,वस्तु एवं सेवा करऔरकेन्द्रीय उत AISSIONER (APPEALS), GST &CENTRAL		
651	MARKET द्वितीय तल	,जी एस टी भवन / 2 <sup>nd</sup> Floor, GST Bl	havan	
	रेस को	र्स रिंग रोड / Race Course Ring Road	सत्यमेव	
		<u> राजकोट / Rajkot - 360 001</u>		
	Tele Fax No. 0281	– 2477952/2441142Email: cexappealsrajk	tot@gmail.com	
रजिस्	<u>टर्ड डाक ए.डी.द्वारा</u> ः-			
क	अपील / फाइलसंख्या/	भूल आदेश सं /	दिनांक/	
	Appeal /File No. <b>V2/68/GDM/2019</b>	O.I.O. No <i>.</i> 18/GST/AC/2018-19	Date 29-03-2019	
	¥ 2/00/GD1¥1/2019	10/05/11/0/2010 17	-> 00 -013	
ख	अपील आदेश संख्या(Order-In-Appeal No.):			
	KCH-E2	XCUS-000-APP-051-2020		
	आदेश का दिनांक /	जारी करने की तारीख /		
	Date of Order: 20.03.2020	Date of issue:	20.03.2020	
	<b>श्री गोपी नाथ</b> , आयुक्त (अपील्स), राजकोट Passed by Shri. Gopi Nath, Comm	-		
ग	अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/वस्तु एवंसेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: / Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST,			
घ		& Address of the Appellant & Respondent :- No. 12B Gandhidham-370201Gujarat		
	way.	खित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष -Appeal may file an appeal to the appropri		
(A)	सीमा शुल्क ,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम ,1944 की धारा 35 के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है ।/ Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 8			
of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:			य न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेर	
	-	& Service Tax Appellate Tribunal of West E		
(ii)	उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क,केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकर (सिस्टेट)की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,द्वितीय तल, बहुमाली भवन असावी अहमदाबाद- ३८००१६को की जानी चाहिए ।/			
	To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2 <sup>nd</sup> Floo Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above			
(iii)	किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किय माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या 3 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/ अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजि जाना चाहिए । संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 50		जहा उत्पाद शुल्क की मांग ,ब्याज 50 लाख रुपए से अधिक है तो क़म निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधि 1 जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट दवारा कि याधिकरण की शाखा स्थित है । स्थग	
	The appeal to the Appellate Tribunal si Central Excise (Appeal) Rules, 2001 accompanied by a fee of dutydemand/interest/penalty/refund i of crossed bank draft in favour of Ass where the bench of any nominated pu Application made for grant of stay shal	hall be filed in quadruplicate in form EA-3 / I and shall be accompanied against one Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,00 is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 5 st. Registrar of branch of any nominated pu blic sector bank of the place where the ben I be accompanied by a fee of Rs. 500/-	as prescribed under Rule 6 e which at least should 0/- where amount 00 Lac respectively in the for ublic sector bank of the pla ch of the Tribunal is situate	
(B)	अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित अधिनियम,1994 की धारा 86(1) के अतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) तहत निर्धारित प्रपत्र S.T5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग ,ब्याज की माँग और लगाया गर जुर्माना,रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000 रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण व शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सावजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट दवारा किया जाना चाहिए । संबंधित झप का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है । स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लि आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ।/			
	The appeal under sub section (1) of in quadruplicate in Form S.T.5 as pr accompanied by a copy of the order accompanied by a fees of Rs. 1000/- Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where than five lakhs but not exceeding Rs demanded & penalty levied is more th Assistant Registrar of the bench of no	ection 86 of the Finance Act, 1994, to the Ar rescribed under Rule 9(1) of the Service Ta appealed against (one of which shall be c where the amount of service tax & interest the amount of service tax & interest deman s. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount an fifty Lakhs rupees, in the form of cross ominated Public Sector Bank of the place w of stay shall be accompanied by a fee of Rs.5	ppellate Tribunal Shall be fil ax Rules, 1994, and Shall ertified copy) and should demanded & penalty levied nded & penalty levied is mo ount of service tax & intere ed bank draft in favour of t phase the bench of Tribunal	

(i) वित्त अधिनियम,1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त दवारा सहायक आयक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शूल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी । /

The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal. सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम

- 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।
  - केन्द्रीय उत्पाद शूल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" मे निम्न शामिल है
  - धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
  - सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि (ii)
  - सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम (iii)
  - बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष

- बशते यह कि इस धारा के प्रावधान वितीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे।/ For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores, Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include : [i] amount determined under Section 11 D; [ii] amount of erroneous Cenvat Credit taken; [iii] amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules - provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

## भारत सरकार कोपनरीक्षण आवेदन : (C)

(i)

(ii)

भारत सरकार कापुनरात्वण जावदन . Revision application to Government of India: इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलो में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गतअवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद माग, नई

तिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में।/ In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse (i)

- भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (ii)
- (iii)
- यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
- सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न• 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि (iv) अरि एस आदेश जो आयुक्त (अपोल) के द्वारी वित्त आधानयम (न. 2),1998 का धारा 109 के द्वारी जियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए है।/ Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील)नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए । उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के (v)

सिर्वन की जीनी पाहिए। सिंध हा कन्द्राय उत्पाद गुल्क जापानपून, 1944 का पार उठ-22 के एहए स्वयार पुरुष का अवित संतर्गन की जानी चाहिए। / तौर पर TR-6 की प्रति संतर्गन की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

## (vi)

पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए । जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया) जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो

- (D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय नयाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various unbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
- (E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का वयासरामधत ज्यायालय सुल्ल जायालय र, 1070, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073, 1073,

- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982. (F)
- (G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट
  - www.cbec.gov.in को देख सकते हैं।/ For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in.

## ORDER-IN-APPEAL

M/s. Delhi Tent House, Plot No. 147, Ward 12B, Gandhidham, Pin – 370 201 (*herein after referred to as* "that Appellant") has filed present appeal against Order-in-Original No. 18/GST/AC/2018-19 dated 29.03.2019 (hereinafter referred to as 'the impugned order') passed by the Assistant Commissioner, CGST & C. Ex., Urban Division, Gandhidham (hereinafter referred to as 'the adjudicating authority').

2. Briefly stated, the facts of the case are that Show Cause Notice No. VI(a)/8-161/CEA/Circle-VI/Gr.29/2017-18 dated 23.03.2018 was issued to the appellant for non payment of service tax. The adjudicating authority confirmed service tax demand of Rs. 14,90,461/- along with interest and imposed penalty vide the impugned order. Aggrieved, the appellant has filed the instant appeal.

3. The Appellant had opted for "Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019 [for short-SVLDRS] for the issue under appeal and that the designated committee has accepted their application under SVLDRS and issued discharge certificate dated 29.01.2020 (SVLDRS-4) to the appellant in terms of provisions of Section 127 of the Finance Act, 2019.

4. I find that as per provisions of Section 127 (6) of the Finance Act, 2019, in respect of a declaration filed under SVLDRS which is accepted by the designated committee and issued discharge certificate, the appeal before appellate authorities challenging the issue/tax dues for which settlement is sought under SVLDRS, will be deemed to have been withdrawn. The relevant provisions of Section 127 (6) of the Finance Act, 2019 is as under:

"(6) Where the declarant has filed an appeal or reference or a reply to the show cause notice against any order or notice giving rise to the tax dues, before the appellate forum, other than the Supreme Court or the High Court, then, notwithstanding anything contained in any other provisions of any law for the time being in force, such appeal or reference or reply shall be deemed to have been withdrawn."

5. In view thereof, the appeal under consideration is to be considered as withdrawn. Accordingly, I dismiss the appeal as withdrawn.

ybha

H) 201312020

Commissioner (Appeals)

By R.P.A.D.

M/s. Delhi Tent House, Plot No.	मे. दिल्ली टेंट हाउस, प्लॉट नं. 147, वोर्ड 12बी,
147, Ward 12B, Gandhidham, Pin – 370 201	गांधीधाम, पिन - ३७० २०१

प्रति:-

प्रधान मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद
 को-जानकारी हेतु।



- F No.V2/68/GDM/2019
- !

- 4) गार्ड फ़ाइल।
- आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- आवश्यक कार्यवाही हेतु। 3) सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अर्बन मण्डल, गांधीधाम को
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीधाम आयुक्तालय, गांधीधाम को